

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/२७६६ /

जबलपुर, दिनांक ०५/०८/२०२१

श्री रामआसरे, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 02.06.2021 से बिना सूचना आवेदन पत्र के लगातार कर्तव्य पर अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के कारण आगामी आदेश तक वेतन भुगतान रोका जाता है।

सही/-

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक D/२७६७ /

जबलपुर, दिनांक ०५/०८/२०२१

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिरस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री रामआसरे, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(किशोर पिठवे)

रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.

M